कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़

संख्या 536 दिनांक 25-6-14

प्रबन्धक,

एस० वी० पब्लिक ज्० हा० स्कूल शाहपुर फगौता

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय, / महादेया,

आपके दिनांक के आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै एस० वी० पब्लिक ज्० हा० स्कूल शाहपुर फगौता ; धौलाना को तारीख 25-6-14 से तारीख 26-6-17 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा कक्षा 01 से कक्षा कक्षा 08 (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में,) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस- पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा – विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि: शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेंगा । ऐसी प्रतिपूतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेंगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेंगा। विद्यालय निम्नलिखत सुनिश्चित करेंगा:-
   - (एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड य मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   - (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
   - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - (छ:) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - (सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और
   - (आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगें।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियगों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र फल

कुल निर्मित क्षेत्र 2024.09 sq mt

कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल पर्याप्त

कक्षाओं की संख्या 18 कक्ष

प्राध्यपक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष 01 + 01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय 06 + 06

पेय जल सुविधा ✓

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई ✓

बाधारहित पहुंच ✓

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता ✓

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 01/2024 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय में छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्गफीट प्रति छात्र/छात्रा का स्थान निर्धारित है।

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड़

पृ0सं0 / / तद् दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड